न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री बीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 645 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 धानाराम 2 भंवराराम 3 बादूराम पिसरान चौखाराम 4 निम्बाराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी हुडो की ढाणी पटवार क्षेत्र हुडो की ढाणी तहसील बाटाडु जिला बाडमेर		1 इन्द्राराम पुत्र नरसिंगाराम 2 किशनाराम पुत्र रायचन्दराम, 3 कोजीदेवी पत्नी रूगनाथराम 4 गजाराम पुत्र रूगनाथराम 5 गोमीदेवी पत्नी अन्नाराम 6 चेतन पुत्र तिलाराम उर्फ लीला 7 चन्दनाराम पुत्र बगताराम 8 चुनाराम पुत्र हमीराराम 9 चैनाराम पुत्र नरसिंगाराम 10 चम्पाराम पुत्र जवाराराम 11 जैसाराम पुत्र बगताराम 12 ठाकराराम पुत्र हमीराराम 13 डूंगराराम पुत्र शंकराराम 14 फूसाराम 15 हिम्मताराम पिसरान तेजाराम 16 ताजाराम पुत्र तिलाराम उर्फ लीला 17 ताजाराम पुत्र नरसिंगाराम 8 दुर्गाराम पुत्र हमीराराम 19 देवेन्द्र कुमार पुत्र बगताराम 20 देवाराम पुत्र शंकराराम 21 देवाराम पुत्र सावताराम 22 धनाराम पुत्र ताराराम 23 नैनूदेवी पत्नी हमीराराम 24 पताराम पुत्र मलाराम 25 पप्पूदेवी पुत्री रावताराम 26 द्वारकाराम पुत्र पेमाराम 27 पवनीदेवी पुत्री रावताराम 28 बनाराम पुत्र जवाराराम 29 भगवानाराम पुत्र तिलाराम 30 भोजाराम पुत्र खेताराम 31 मंगलाराम पुत्र सावताराम 32 महेन्द्र कुमार पुत्र बगताराम 33 मांगाराम पुत्र अन्नाराम 34 राउराम पुत्र रूगनाथराम 35 रावताराम पुत्र ताराराम 36 लक्ष्मी पुत्री रावताराम 37 लूणाराम पुत्र जवाराराम 38 लूणीदेवी पत्नी रावताराम 39 वालीदेवी पत्नी ताराराम 40 हनुमानराम पुत्र सुरताराम 41 हस्तीमल पुत्र हमीराराम जाति मघवाल निवासी हुडो की ढाणी पटवार क्षेत्र हुडो की ढाणी भू–अभिलेख क्षेत्र भीमडा तहसील बाटाडू जिला बाडमेर (राज०)

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री हाकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री गणेश कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01, 04, 09, 10, 17, 24, 28, 30, 37 व 41।

आदेश

दिनांक 03/06/25

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एंव कब्जाकाश्त के खेत मौजा हुडो की ढाणी पटवर हल्का हुडो की ढाणी तहसील बाटाडू के खसरा संख्या 674 / 143 रकबा 4.3484 हैक्टेयर व खसरा संख्या 669 / 143 रकबा 4.3484 भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण को अपने को अपने खसरान को डामर सड़क से जोड़ने के लिये न्युनतम दूरी खसरा संख्या 141 से होता हुआ रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 674 / 143 व खसरा संख्या 669 / 143 तक पंहुचता है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने मे जाने हेतु रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से 41 की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता घोषित किया जावे ताकि प्रार्थीगण अपने खेत से आम रास्ते पर जाने वाले सड़क मार्ग पर आसानी पूर्वक प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के खेत के आगे चल रहे डामर सड़क पर आवागमन हेतू पहुंच सकें।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 04, 09, 10, 17, 24, 28, 30, 37 व 41 के अधिवक्ता उपस्थित शेष अप्रार्थीगण ईकतरफा। अप्रार्थी संख्या 01, 04, 09, 10, 17, 24, 28, 30, 37 व 41 को जवाब पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, इसके बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया अतः जवाब का अवसर बंद गया। तहसीलदार बाटाडू से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाटाडू के पत्रांक राजस्व/2025/166 दिनांक 17.04.2025 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया तथा प्रार्थीगण को अपने खसरान को जोड़ने के लिए डामर सड़क से जोड़ने के लिए न्यूनतम दूरी खसरा संख्या 141 से होता हुआ रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 674/143, खसरा संख्या 669/143 व खसरा संख्या 675/143 तक पहुंचना उचित प्रतीत होता है। उक्त रास्ता की चौड़ाई 3 गट्ठा तथा लम्बाई 67 गट्ठा रखते हुए प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि जो मौजा हुडो की ढाणी पटवार हल्का हुडो की ढाणी तहसील बाटाडू के खसरा संख्या 141 का रकवा 53.5396 हैक्टेयर तथा साथ ही रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि की गणना की जाकर राशि का अंकन निम्न प्रकार से प्रस्तावित किया गया हैं।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकवा	रास्ता लम्बाई/चौड़ाई (गट्ठों में)	प्रस्तावित मार्ग का रकवा (हैक्टेयर में)	डीएलसी दर की दुगनी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	इन्द्राराम पुत्र नरसींगाराम हि. 1/16 वगैराह जमाबंदी अनुसार कुल 43 खातेदार	141	53.5396	67 X 3 (गढ्ढा) = 0. 0813 हैक्टयर	0.0813	207750/–

तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाटाडू द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उसे स्वीकार है तथा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने-जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया।

तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाटाडू द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उसे स्वीकार है तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में आने-जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। तहसीलदार बाटाडू से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शे का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाटाडू ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता जो प्रार्थीगण को अपने खसरान को जोड़ने के लिए डामर सड़क से जोड़ने के लिए न्यूनतम दूरी अप्रार्थी संख्या 01 से 41 के खसरा संख्या 141 से होता हुआ रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या कमश 674/143 व 669/143 तक पहुंचना उचित प्रतीत होता है। उक्त रास्ता की चौडाई 3 गट्ठा लम्बाई 67 गट्ठा हैं जिसमें खसरा संख्या 141 का रकबा 53.5396 हैक्टेयर रास्ते के रूप में सबसे निकटतम आवागमन हेतु भूमि उपलब्ध है, उक्त प्रस्तावित जगह निकटतम दूरी का व उपयुक्त रास्ता है, जो संलग्न नक्शा में बंरग "हरा" से प्रदर्शित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251–क के तहत "प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है" जो तहसीलदार बाटाडू की रिपोर्ट से स्पष्ट है। प्रस्तावित रास्ता डामर रोड के नजदीक है, दूसरे रास्ते का कोई विकल्प नही है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन पत्र तहसीलदार बाटाडू की रिपोर्ट के परीप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरांत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा हुडो की ढाणी पटवर हल्का हुडो की ढाणी तहसील बाटाडू के खसरा संख्या 674/143 रकबा 4.3484 हैक्टेयर व भूमि खसरा संख्या 669/143 रकबा 4.3484 हैक्टेयर पहुंचने हेतु निम्नानुसार रास्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :–

नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई/चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)	डीएलसी दर की दुगनी राशि
2	3	4	5	6	7
इन्द्राराम पुत्र नरसींगाराम हि. 1/16 वगैराह जमावंदी अनुसार कुल 43 खातेदार	141	53.5396	67 X 3 (गढ्ढा) = 0.0813 हैक्टयर	0.0813	207750/–

तहसीलदार बाटाडू को उक्त प्रस्तावित मार्ग अनुसार डीएलसी दर दुगुनी राशि के प्रार्थीगण बैंकर्स चैक पेश करें। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर तहसीलदार बाटाडू राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा सम्बन्धित खातेदारान को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 17.04.2025 के

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]